

विशेषज्ञों ने एक्सलेंसो सम्बन्धी कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्तका व्योरा क्या है तथा उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० बुलन्चा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**Metre Gauge line between  
Mathura and Brindaban**

10003. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Metre-Gauge line between Mathura and Brindaban is being withdrawn ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is any proposal to connect Brindaban with any of the main lines of the Central, Southern and Western Railways with a view to enable Hindu pilgrims and foreign tourists to visit the place without much difficulty ; and

(d) if so, when the proposal is likely to materialise, if not, the reasons therefor?

**THE MINISTER OF RAILWAYS**  
(SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). No final decision has yet been taken in regard to closure of this line.

(c) No.

(d) Does not arise.

**Accidents at Yalavigi and Bharwari  
Stations**

10004. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any amount has been donated for the sufferers of the Railway accidents of Yalavigi on Southern Railway and Bharwari near Allahabad from the Prime Minister's Relief Fund ;

(b) if so, how much has been donated and on what dates this amount was announced ;

(c) whether any specific directions were issued with regard to the distribution of the said donation between the sufferers of the two accidents ; and

(d) if so, how it has been actually distributed ?

**THE MINISTER OF RAILWAYS**  
(SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (d). A sum of Rs. 50,000/- was sanctioned by the Prime Minister from the National Relief Fund on 1.4.1968 to be utilized for providing relief to the victims of the recent railway accidents.

Of this amount, Rs. 20,000/-, Rs. 12,000/-, Rs. 10,000/- and Rs. 8,000/- have been placed at the disposal of General Managers, Southern, Northern, Eastern and South Central Railways respectively for disbursement to the next of kin of those killed and to those injured in the accidents that took place at Yalavigi, Bharwari, Luckeesarai and at level crossing between Venkatachalam and Manubollu stations.

**उत्तर प्रदेश को नाजीवार चादरों का कोटा**

10005. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या इस्पताल, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1957 से 31 मार्च, 1968 तक प्रत्येक वर्ष में उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को क्रमशः सफेद नालीदार चादरों का कितना कोटा दिया गया ;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक राज्यों को कितनी तथा कितने गेज की सादी जी० पी० चादरों का भ्रान्दण किया गया ; और

(ग) उनमें में कृषि विकास, औद्योगिक विकास तथा आयोजन की विभिन्न मयों के लिए कितना कोटा नियत किया गया और उन चादरों का प्रति टन मूल्य क्या है ।

इस्पताल, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग) — सुचना एकत्र की जा रही है और सभापद्वय पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर प्रदेश में उद्योग**

10006. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास तथा समाज-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने के कुछ

उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इतने उद्योगों के नाम क्या हैं और ये उद्योग किन किन जिलों में स्थापित करने का विचार है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चलने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं और ये उद्योग कहां कहां हैं और इन उद्योगों द्वारा कौन-कौन सी वस्तु बनाई जाती हैं ; और

(घ) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी जिले में उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा लघुवाणिज्य-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं : —

| परियोजना का नाम  | जिला                                   |
|--|--|
| 1. भारी पम्प और कम्प्रेसर                                | इलाहाबाद                               |
| 2. फाउन्ड्री फोर्ज (हैवी इलेक्ट्रिकल्स का सहायक संयंत्र) | सहारनपुर                               |
| 3. ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र                              | वाराणसी                                |
| 4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स                                 | इलाहाबाद                               |
| 5. खरित रखने तथा मंस जमाने का संयंत्र                    | अमरा                                   |
| 6. मशीनों से जूते बनाने का कारखाना                       | कानपुर                                 |
| 7. बेकरी संयंत्र   | कावम्बुद                               |
| 8. मशीन भोजारों का कारखाना                               | स्थान का अभी निर्णय नहीं किया गया है । |
| 9. मशीन भोजारों का कारखाना                               | वही                                    |
| 10. टेलीफोन कारखाना                                      | वही                                    |
| 11. घण्टबारी कागज का कारखाना                             | वही                                    |

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम हैं :—

| उद्योग                    | स्थान                                  | नर्माण की जाने वाली वस्तुएं          |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. एन्टीबायोटिक्स फॅक्टरी | ऋषिकेश देहरादून                        | प्रतिजैविकीय उत्पाद                  |
| 2. भारी वैद्युत कारखाना   | हरिद्वार                               | वैद्युत मशीनें तथा पुर्जे (सहारनपुर) |
| 3. उर्वरक कारखाना         | गोरखपुर                                | रसायनिक उर्वरक                       |
| 4. डीजल इंजन              | वाराणसी                                | डीजल इंजन                            |
| 5. सिंगरीली               | सिमरीली कोयला खनन कोयला खाने मिर्जापुर |                                      |

(घ) भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित के प्रलावा और कोई भी नहीं ।

#### South-Central Railway Zone

10007. SHRI MOHAMMED SHERIFF: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of sanctioning the setting up of the new South Central Railway Zone at Secunderabad, it was decided to absorb the staff of the constituent Divisions of the Southern Railway, Madras and Central Railway, Bombay in the new South-Central Railway Zone at Secunderabad ;

(b) whether it is also a fact that the exercise of option to serve in the newly set-up South-Central Railway Zone, Secunderabad has since been offered to all the employees of all the Railway Zones ; and

(c) if so, the reasons for this reversal of the decision which affects the legitimate interests of the employees of the constituent divisions of the Southern Railway, Madras and the Central Railway Bombay ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (c). Before the formation of the South-Central Railway the non-gazetted staff of the con-